Enforcement under new ordinance could be tricky

MM BUREAU
New Delhi/October 31

The process of penalising polluters in Delhi-NCR region under the union government's Commission for Air Quality Management (CAQM) in National Capital Region and Adjoining Area Ordinance is likely to be a "tricky process", officials from Delhi's pollution control board and environment experts said on Friday.

Senior officials of the Delhi Pollution Control Board (DPCC) said since the ordinance says the CAQM "shall prevail in all matters relating air pollution", there is no clarity if DPCC can continue to levy fines over the set limit of R1 crore -- the maximum amount payable as fine for flouting pollution norms according to the Centre's ordinance.

DPCC is the capital's primary air quality monitoring and enforcement body.

The ordinance says polluters in Delhi-NCR can be fined up to Rs1 crore and/or face imprisonment up to a term of five years for violations.

The officials said because of a likely confusion on whether their enforcement teams would be able to issue 'on-the-spot' fines or not , there is a possibility of violation of air pollution norms increasing this time.

"We were issuing fines under the Air Act (1981), which does not have any such limit for penalties. However, technically now that the commission has been declared the sole authority for all pollution-related matters in Delhi-NCR, we are not sure to what extent will the state board be able to exercise this power," another DPCC official said.

Since October 15, when the winter segment of the Graded Response Action Plan (Grap) came into effect, DPCC teams have imposed two fines worth R1 crore on municipal agencies for garbage burning in the open.

Fines ranging between R20 lakh and R50 lakh have also been issued to

construction agencies for flouting dust-control norms in the city. Over 40 ready-mix concrete plants and illegally operating industries have been issued fines ranging from R5 lakh to R20 lakh.

According to the new ordinance, if the commission wants to penalise a polluter, they will have to present the case before a first-class magistrate, who will probe the violation and order the penalty if the charge is proven in court. This can make the entire process more time consuming, giving a window to polluters to get away, experts said.

Environment experts said while a fine up to R1 crore and/or imprisonment of up to five years may seem "progressive", in reality it puts a limit on the fine that can be imposed, which is contrary to the polluter-pay principle.

Environment lawyer Ritwick Dutta said since the commission is an executive body and not a judicial body, it can only issue directions. For instance, if an agency is found to be flouting pollution norms, the new body can direct it to stop operations but it does not have the power to directly fine it.

"They (CAQM) will have to file a complaint case before a magistrate. An investigation will be called to prove the violation. It will be a judicial trial; it will not be an executive order for punishment. They can tell the court that they want to impose a fine but to get it implemented, they will have to prove that the violation was committed and this could take as much time as it does," Dutta said.

Dutta said the Environment Pollution (Prevention and Control) Authority (Epca) had the same power of imposing fines (earlier up to R1 lakh), but in its 22 years of existence they could not extract a single penalty.

"This route has proved unsuccessful earlier, and we are resorting to same route again," he said.

Shibani Ghosh, an environmental lawyer and a Centre for Policy Research (CPR) fellow, said the provision for monetary penalties and imprisonment and the process of imposing such a penalty via courts is similar to what is available in the Air Act and the Environment (Protection) Act.

"If you look at National Crime Records Bureau (NCRB) reports, convictions under the Air Act and EP Act are very low. The fear of criminal prosecution is only a deterrent if people notice that polluters are prosecuted and convicted.

NGO report : MCD councillors skipped house meetings, asked fewer questions

MM BUREAU
New Delhi/October 31

The performance of municipal councillors in Delhi's three civic bodies — North, South and East — had fallen in the year 2019-20 as compared to previous years in terms of attendance in House meetings, the number of questions asked and the relevance of issues raised, a report card released by Praja Foundation, a non-government organisation, said on Friday.

The report titled "Delhi Councillor Report Card 2020" is prepared annually by the Praja Foundation where it rates elected representatives of the three civic bodies on the basis of data accessed through RTI and public accounts.

The report suggests the attendance of the councillors in Bharatiya Janata Party-

ruled civic bodies — North Delhi Municipal Corporation, South Delhi Municipal Corporation (SDMC) and East Delhi Municipal Corporation (EDMC) — has fallen compared to previous years.

"The performance of councillors has fallen in all three corporations in 2019-20. The attendance score fell in the North Delhi Municipal Corporation from 75.32% in 2017-18 to 66.38% in 2019-20, in SDMC from 75.10% to 66.61% and in EDMC from 81.83% to 71.27%", said Milind Mhaske, director, Praja Foundation.

The attendance percentage of councillors in 2018-19 was 70% in North Corporation, 71% in SDMC and 76% in EDMC.

Mhaske said the overall questions raised by councillors fell by 29% from 18,128 in 2017-18 to 12,879 in 2019-20. The highest fall was in north corporation, where the number of questions raised fell by 35%, followed by SDMC with a 27% fall and EDMC, which reported 16% fall.

The report said 55 councillors (54%) in North DMC, 56 (54%) in SDMC and 37 (62%) in EDMC scored less than 50% in raising the issues of their areas (obligatory duties) and showed "poor quality of deliberation".

The report said seven councillors (3 north corporation, 3 SDMC, 1 EDMC) asked zero questions in 2019-20.

The report gave scores to the councillors and ranked them on parameters of attendance in the House, number of issues raised, relevance of issues and their accessibility.

Ravinder Kumar of Chandni Chowk (North Corporation), Satpal Kharwal of Vishnu Garden (SDMC) and BS Panwar of Shahdara North (EDMC) were given the first rank in their respective corporations.

Anamika Mithilesh, south Delhi mayor, said she has not yet seen the report and refused to comment on it. Mayors of the north and east corporations also refused comment citing similar reasons.

9-Year-old boy dies in freak firecracker accident in North Delhi

MM BUREAU/New Delhi/October 31

In a freak accident in outer Delhi's Alipur on Wednesday evening, a nine-year-old boy was killed by a steel tumbler that pierced his body after it was placed atop a fire cracker before setting it (the cracker off), the police said.

While the police's initial probe revealed that the firecracker that triggered the mishap was picked up by children from a Ramlila site, the boy's family alleged that such crackers were being sold illegally at small general stores in the neighbourhood. This festive season, like last year, only shops licensed to sell green firecrackers are allowed to sell these . As of Thursday, only 138 such licences were issued by the Delhi Police. In the Outer North police district, where this mishap occurred, only five such shops have been granted licences. Still, as evident by the noise level last year during Diwali, when few crackers are supposed to have been available, a huge illegal trade of firecrackers does carry on, and not all of the explosives sold meet green norms as they are supposed to. Jitendra Kumar Meena, serving temporarily as the additional deputy commissioner of police of outer north district, said that the police were in the process of registering a first information report. "The death happened on Wednesday, but no one made a call to the police. The boy was brought dead to a hospital and his family then decided to take the body away," said Meena, adding that the police got to know of the death only on Friday through social media. The boy, identified only by his first name, Prince, lived with his parents in Om Vihar Colony of Alipur. His father is a labourer and his mother works in a farm. His mother, Babita Devi, said that she and her husband were away at work on Wednesday evening when her son and his friends purchased firecrackers from a local shop. She said that no old firecrackers were stored in her house. According to another police officer who didn't want to be identified, the boys decided to have some fun by placing a steel tumbler on a cracker before lighting it. When the cracker didn't go off, Prince approached it to take a look.

AAP, BJP spar over MCD functioning

MM BUREAU
New Delhi/October 31

The Aam Aadmi Party (AAP) on Friday criticised the Bharatiya Janata Party (BJP)-led municipal corporations of Delhi (MCD) over the issue of financial debts and their inability to pay salaries to doctors, which led to recent strikes by healthcare workers in the city. "The BJP has put a massive burden of debts on the residents of Delhi. They cannot even pay salaries to doctors. The BJP-ruled MCDs have to take Rs 18,000 crore from the central government and must return Rs 8,500 crore to Delhi government," said AAP spokesperson Saurabh Bhardwaj. He said, "The MCDs have sealed Delhi's big markets and illegally taken conversion fee and parking charges, yet shops are sealed, shopkeepers are devastated. They should hand over the charge of the civic agencies to the

AAP. We can operate them with a surplus budget." The Delhi BJP's spokesperson said, "In 1994, the BJP has run Delhi government with a surplus budget. There is no debt burden on Delhi residents due to the MCDs. The sealing in a few markets faced by traders is due to failure of the Kejriwal government in terms of failure to issue appropriate notifications in the right time."

ISBT's likely to reopen from Today : Kailash Gahlot

MM BUREAU
New Delhi/October 31

Interstate bus services and ISBTS in Delhi are likely to reopen from November 1, even as senior Delhi government officials on Friday said they hoped the 20-passenger cap on buses would be lifted by next week.

State transport minister Kailash Gahlot said the decision to resume interstate buses and reopen the city's three ISBT's was approved by the Delhi Disaster Management Authority (DDMA) in a meeting held on October 23.

"The minutes of the DDMA meeting held on October 23 were issued on Thursday and received by the transport department today (Friday). The department is now preparing standard operating procedures (SOPs) to be followed in ISBTs and aboard inter-state buses.

While the order will be issued by the transport department on Saturday, it is likely that resumption of interstate bus movement will be effective from November 1," Gahlot said.

The minister said no decision had been taken regarding lifting the restriction of 20 passengers in each of our Delhi Transport Corporation (DTC) and cluster buses in the DDMA meeting. Lieutenant Governor Anil Baijal had advised that the matter may be examined in light of the social distancing norms laid out for Covid-19 management.

"We had sent a proposal to increase the capacity of buses to 40 per bus after the October 23 DDMA meeting. I am yet to receive the file," Gahlot said.

A senior official in L-G Baijal's office said the LG has, in all likelihood, approved the proposal to increase the passenger capacity in DTC and cluster buses.

The resumption of these services would mean that all three interstate bus terminals (ISBTs) in Delhi — in Anand Vihar, Kashmere Gate, and Sarai Kale Khan — will also reopen after being shut for more than seven months. In Delhi, interstate bus services were suspended on March 21. But before the onset of the pandemic, the three ISBTs saw a combined footfall of over 250,000 every day. At least 3,467 buses from states such as Uttar Pradesh, Punjab, Rajasthan, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Haryana and Chandigarh would ply through these ISBTs every day.

Biker smashes challan machine after being stopped for helmet violation

MM BUREAU/New Delhi/October 31

A 26-year-old bike rider on Wednesday evening smashed the challan machine of the traffic police in east Delhi's Mandawali, after he was stopped and asked to pay a fine for his pillion rider not wearing a helmet. Police said the man later not only had to pay the fine but was also arrested for destroying the challan machine. Jasmeet Singh, deputy commissioner of police (east), said that the man was booked for robbery, obstructing a public servant from performing his duty and under the Prevention of Damage to Public Property Act. "He was arrested, but was let off on bail," said the DCP.

Investigators identified the man by his first name, Santan, a resident of east Delhi's Gandhi Nagar. Santan works at a call centre, said the officer. The alleged incident happened around 6.30pm on Wednesday, when traffic police assistant sub-inspector Kailash Chand was regulating vehicular movement near the Mother Dairy T-point in Mandawali. In his statement to the local police, Chand said that he noticed a motorcycle.

South, West districts worst mask offenders in Delhi

MM BUREAU
New Delhi/October 31

Amid a fresh surge in coronavirus disease cases, an analysis of Delhi Police's data shows that south and west police districts are the worst in maintaining mask discipline with the maximum number of violations -- highlighting the difficulty in enforcing Covid-19 guidelines.

According to data (updated until October 27) seen by HT, at least 47,795 people were fined for not wearing masks in the police's south district that spreads from Ambedkar Nagar and Kalkaji to South Campus near Moti Bagh. Until two months ago, south district -- which also includes areas such as Defence Colony, Lodhi Colony, Greater Kailash, RK Puram -- did not figure in the top or even the second in the list of violators.

In west Delhi, which stood second after south with 40,556 violations, Rajouri Garden police station reported the maximum number of people

without masks. 5,123 people were prosecuted in Rajouri Garden.

The maximum number of violations two months ago (data up to August 27) 22,136, were reported from Outer Delhi district, which includes places such as Mangolpuri, Aman Vihar, Sultanpuri and Kanjhawala. The west district was number 2 on the list then too with 16,772 people fined. The police data had then suggested that citizens in south Delhi were much better at following the mask rule compared to other districts.

Earlier this month, a report prepared by the National Control for Disease Control (NCDC) had cautioned that the Capital needs to gear up to tackle a surge of up to 15,000 cases per day during winter and in the festival season.

In the backdrop of daily cases crossing the 5,000-mark, Delhi health minister Satyendar Jain on Friday reiterated the importance of wearing masks. He said everyone should consider wearing a mask as a vaccine for Covid-19 for now. On Friday, 5,891 new positive cases were reported in Delhi, according to the government's health bulletin.

The latest police data seen by Media shows that in south Delhi, the Kotla Mubarakpur police station registered the highest number of violations at 4,335, followed by CR Park with 4,192.

A senior police officer, who did not wish to be named, said, "Every district DCP has been assigned the task of identifying a different area each day in each police station, where police have to strictly enforce the mask rule. It could be outside a temple, a mosque or at a market area."

Kotla Mubarakpur police station includes areas such as the South Extension markets, Ring Road, Sewa Nagar and Kidwai Nagar. Police said their focus in the festive season will be markets. They will also fine shopkeepers who allow shoppers inside without masks.

The local MLA from Kasturba Nagar, Madan Lal, said he will launch a special drive to ensure residents adhere to the rule."It is good the police are active and issuing challans to those not wearing masks or violating guidelines. The Delhi government has been creating awareness and appealed to people to always wear masks."

A police officer from the west district said their focus will be on markets such as Rajouri Garden, Tilak Nagar and Jankapuri, where people have started coming out for festive shopping. Police data shows West Delhi continuously featured among the top three districts with most violators.

"We have started making public announcements in markets. People must wear mask at all times," said a mid-level police officer from west Delhi.

Dhanwati Chandela, MLA from Rajouri Garden, said, " We are carrying out campaigns to raise awareness. The number must be high because many people from outside come to eateries here and flout rules."

An on-the-spot fine of Rs 500 is imposed for not wearing a mask, under a rule passed by the government in June.

A drive to penalise those moving about in public spaces without masks was launched on June 14. Until October 27, Delhi Police fined 432,049 people for not wearing masks and collected at least Rs 21.60 crore in fines.

RAMA VISION LIMITED
(CIN: L32203UR1989PLC015645)
Registered Office: Ward No. 3, Bareilly Road, Kichha, Dist. Udham Singh Nagar, Uttrakhand – 263 148
Tel.: 05944-264263; Website: www.ramavisionltd.com;
Email: sehgal@ramavisionltd.com

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to the Regulation 29 (1) (a) read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that Twenty Third meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Monday, the 09th day of November, 2020 at 03:30 p.m. at the Corporate Office of the Company at Rama House, 23, Najafgarh Road Industrial Area, Shivaji Marg, New Delhi – 110015, inter alia to consider and approve the Standalone Un-Audited Financial Results of the Company for the quarter and half-year ended on 30th September, 2020.

The aforesaid intimation can also be accessed on the following website(s):
1. www.ramavisionltd.com
2. www.bseindia.com

For RAMA VISION LIMITED
Sd/-
(Raj Kumar Sehgal)
G.M. (Legal) & Company Secretary
Place: New Delhi
Date : October 31, 2020

ALPS INDUSTRIES LIMITED
CIN: L51109UP1972PLC003544
REGD.& CORP. OFFICE : 57/2, SITE IV, INDUSTRIAL AREA, SAHIBABAD, GHAZIABAD-201010 (U.P.)

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to provisions of Regulations 29, 33 & 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the meeting of Board of Directors of the company will be held on Thursday, November 12, 2020, mainly to consider and approve the unaudited Financial Results for the Quarter and period ended on September 30, 2020 along with other matters incidental and related thereto.

In view of the above the Trading Window for dealing in the company's scrip by the members of promoter group, designated persons and other connected persons of the company has been closed from Thursday, October 01, 2020 till the end of 48 hours of the news paper publication of the unaudited financial results of the company for the Quarter and period ended on September 30, 2020. It is in terms of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 as amended on April 1, 2019 and in terms of the Circular Ref. No. NSE/CML/2019/11 dated 02/04/2019 and in terms of Code of Conduct of the Company.

For **ALPS INDUSTRIES LTD.**
Sd/-
(AJAY GUPTA)
COMPANY SECRETARY
& GENERAL MANAGER - LEGAL
PLACE: GHAZIABAD
DATED: OCTOBER 31, 2020

जमाखोरों को जेल भेजे सरकार

देहरादून। उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ केंद्रीय उपाध्यक्ष एडवोकेट एन.के गुसाई ने प्रदेश सरकार से प्याज और आलू की आसमान छूती कीमतों को आम जनता को मुहैया कराने हेतु राज्य खाद्य विभाग व सरकारी सस्ते राशन विक्रेताओं के माध्यम से आम जनता को सस्ता आलू प्याज व खाद्य तेल मुहैया करवाये जाने की मांग की है।

गुसाई ने कहा कि जहां एक ओर आम जनता कोरोना महामारी के वर्तमान मुश्किल समय में उबरने की कोशिश कर रहे है वहीं दूसरी ओर आलू, प्याज, खाद्य तेल तथा हरी सब्जियों के बेतहाशा दाम बढ़ने के कारण आम जनता निराश हताश व सरकारी हीला हवाली के कारण आक्रोशित भी है। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से मांग की कि वे राज्य की खाद्यान की दुकानों के माध्यम से आम जनता को सस्ता प्याज, आलू खाद्य तेल मुहैया कराए।

उन्होंने केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल के उस बयान का भी स्वागत किया जिसमें केंद्रीय मंत्री ने 30 हजार टन आलू और 7 हजार टन प्याज का आयात करने की बात की थी जो कि दिवाली से पहले देश में आ जाएगा। कहा कि त्योहारी मौसम के नजदीक आने के कारण मिलावट खोरी हर बार की तरह इस बार भी चरम पर हो सकती है इसके लिए खाद्य विभाग को सभी खाद्यान्न की दुकानों पर औचक निरीक्षण हेतु संबन्धित अधिकारियों को निर्देशित करना चाहिए। कमरतोड़ महंगाई के कारण वर्तमान में आम जनता परेशान है,जबकि सम्बन्धित महकमें व सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है।

गुसाई ने दल की ओर से राज्य सरकार से मांग की है कि उत्तराखंड की आम जनता को आलू,प्याज,खाद्यान्न तेल सहित हर रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों को आसमान से धरातल पर लाने हेतु शीघ्र ठोस व धरातलीय प्रयास करें। कहा कि यदि समय रहते आलू,प्याज व खाद्य तेल व अन्य रोजमर्रा की चीजों पर सरकार ने काबू नहीं किया व जमाखोरों व मिलावटखोरों को पकड़ कर सलाखों के पीछे नहीं डाला तो दल की ओर से सभी जिला, महानगर व ब्लॉक अध्यक्षों को सरकार के खिलाफ आवाज उठाने हेतु आंदोलन चलाने हेतु निर्देशित कर दिया जाएगा।

उत्तराखंड विरोधी भाजपा ने बाहरी फर्जी डिग्रीधारियों के लिए खोले नौकरी के द्वार: सेमवाल

देहरादून। उत्तराखंड में डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार एक महीने से भी लंबे वक्त से शिक्षा निदेशालय पर नियुक्तियों की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं तथा सर्द रातों में खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर हैं। उत्तराखंड सरकार तथा उनके अधिकारियों की कारगुजारियों के कारण उनके नौकरी के अवसरों पर उत्तराखंड से बाहर के फर्जी डिग्री धारियों का डाका पड़ रहा है।

उत्तराखंड क्रांति दल के नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने कुछ अहम दस्तावेजों तथा ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ इस बात का खुलासा किया कि उत्तर प्रदेश से फर्जी ढंग से प्राइवेट कॉलेज डीएलएड का प्रशिक्षण करवा रहे हैं तथा उत्तराखंड सरकार ने ऐसे फर्जी डिग्री धारियों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। इन डिग्री धारियों के पास उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड दोनों जगहों का स्थाई निवास प्रमाण पत्र है इसके साथ ही कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग में प्राइवेट डी एल एड कराने वाले कॉलेजों द्वारा यह साफ-साफ कहा जा रहा है कि प्रशिक्षण लेने वालों को वहां पर नियमित रूप से आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फीस जमा कराना ही पर्याप्त है, उन्हें डिग्री दे दी जाएगी। जबकि नियमावली यह कहती है कि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्ति के पास सिर्फ प्रशिक्षण लेने वाले स्थान का ही स्थाई निवास प्रमाण पत्र हो सकता है। इसके अलावा पूरे एक साल के प्रशिक्षण में 12 अवकाश के अतिरिक्त और कोई भी अवकाश नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा सरकारी डायट में डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को 96 दिनों का दुर्गम क्षेत्रों में विद्यालयों में प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता है, जबकि उत्तराखंड से बाहर के प्राइवेट डी एल एड कराने वाले कॉलेजों में जॉब ट्रेनिंग की अथवा इस तरह के प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है जो उत्तराखंड की स्थितियों को समझ सके। उत्तराखंड से बाहर कई प्राइवेट प्रशिक्षण संस्थान चलाने वाले एक व्यक्ति ने हाई कोर्ट में जाकर एक केस दायर किया कि दूसरे राज्यों से प्राइवेट कॉलेजों से डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को भी उत्तराखंड में योग्य माना जाए। हाई कोर्ट में सरकार के वकील ने अपनी तरफ से कोई भी अर्गुमेंट नहीं किया। हाईकोर्ट के आदेश में यह साफ लिखा है। आखिर क्या कारण है कि सरकार ने उत्तराखंड में डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखकर उनका पक्ष हाईकोर्ट में नहीं रखा ?

तीर्थ पुरोहितों का धरना 41वें दिन भी रहा जारी

हरिद्वार। तीर्थ पुरोहितों के द्वारा स्कैप चैनल के शासनादेश को वापस लेने की मांग को लेकर चल रहा धरना शनिवार को 41वें दिन में प्रवेश कर गया है। उपवास पर डिम्पल निगारे व प्रवीण शर्मा रहे। शनिवार को धरना स्थल से सिटी मजिस्ट्रेट जगदीश लाल के माध्यम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य केंद्रीय मंत्रियों को ज्ञापन भेजे गए। सौरभ सिखौला ने कहा कि देश के लगभग सभी बड़े राजनेता, वरिष्ठ अधिकारी मां गंगा का सम्मान करते हैं।

कहा कि ऐसा कौन सा संकट शहर विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री मदन कौशिक व मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के सामने है कि वे स्कैप चैनल के शासनादेश को वापस नहीं ले पा रहे हैं। धरने पर सुनील चाकलान, अंकुर पालीवाल, अनिल कौशिक, यज्ञदत्त चक्रपाणि, कुणाल शर्मा, प्रदीप निगारे, सेवा राम मिश्रा, आदित्य वशिष्ठ, सिद्धार्थ त्रिपाठी, कमलकान्त, अनमोल कौशिक, मनीष शर्मा, संजय वशिष्ठ, राकेश पंचभैय्या, निखिल शर्मा, सुशील चाकलान, नवीन पंचभैय्या, बादल वशिष्ठ आदि पुरोहित शामिल रहे।

संक्षिप्त

उद्यान निदेशालय स्थानान्तरित होने का विरोध

रानीखेत। चौबटिया स्थित राजकीय उद्यान निदेशालय को देहरादून स्थानान्तरित किये जाने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। जिसका प्रबल विरोध भी शुरू हो गया है। निदेशालय की खाद्य प्रसंस्करण एवं मिनिस्टरियल स्टाफ एसोसियेशन का कहना है कि निदेशालय अन्यत्र शिफ्ट किया गया तो आरपार की लड़ाई लड़ी जाएगी। इस दौरान शाखा की नई कार्यकारिणी के लिये आरएस बोरा अध्यक्ष चुने गये। चौबटिया में हुई बैठक में वक्ताओं ने कहा कि 1953 में पर्वतीय क्षेत्र के विकास हेतु उद्यान निदेशालय की स्थापना की गई थी। इस निदेशालय को देहरादून शिफ्ट किये जाने की सुगबुगाहट होती रहती है। जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में आय व्यय का ब्योरा भी रखा गया। चुनाव अधिकारी मोहन सिंह रौतेला, तारा दत्त काण्डपाल थे।

अवैध निर्माण पर दिया नोटिस

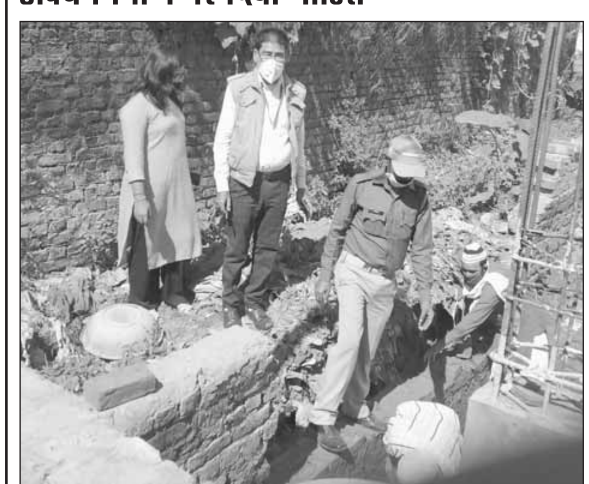

अवैध निर्माण कार्य रूकवाती नायाब तहसीलदार पिंकी आर्या

बनबसा। एसडीएम टनकपुर हिमांशु कफल्टिया के निर्देश पर राजस्व विभाग की टीम ने क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण करने वाले और प्राधिकरण से नक्शा पास नहीं कराने वाले 9 लोगों को नोटिस दिया है। नायाब तहसीलदार पिंकी आर्या की अगुआई में राजस्व विभाग की टीम ने नगर में सरकारी भूमि में अवैध निर्माण कर भवन व दुकानें बनाने वाले और बिना प्राधिकरण से नक्शा पास कराये भवन बनाने वाले ऐसे 9 लोगों को राजस्व विभाग ने नोटिस जारी किया है। नायाब तहसीलदार पिंकी आर्या ने बताया कि सरकारी भूमि व प्राधिकरण से नक्शा पास करे बगैर निर्माण कार्य कर रहे लोगों को नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि सभी लोगों को कई बार समझाने के बाद भी उनके द्वारा निर्माण कार्य नही रोका गया था। जिसके बाद आज राजस्व विभाग द्वारा निमार्ण कार्य कर रहे तीन लोगों का कार्य भी को भी रुकवाया गया है। इस मौके पर उप राजस्व निरीक्षक अमर सिंह मंगला भी मौजूद रहे।

संपत्ति विवाद को लेकर भाइयों में जमकर मारपीट

रुड़की। संपत्ति विवाद को लेकर सगे भाइयों में जमकर लाठी-डंडे चले। जिसमें महिला समेत दो लोगों के सिर फूट गए। दोनों पक्षों की ओर से पुलिस को शिकायत की गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के बंघेड़ी महावतपुर निवासी सगे भाइयों में संपत्ति विवाद चला आ रहा है। मकान और रास्ते को लेकर भी पूर्व में विवाद हो चुका है। एक भाई का आरोप है कि दूसरा भाई आए दिन शराब के नशे में घर पहुंचता है और गाली-गलौज कर मारपीट करता है। विरोध पर दंपति को जान से मारने की धमकी दी जाती है। वही दूसरे भाई का आरोप है कि संपत्ति को लेकर पुराना विवाद है। जिस वजह से आए दिन आरोप-प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। शनिवार को दोनों में संपत्ति को लेकर विवाद हो गया और दोनों ओर से जमकर लाठी-डंडे चले। जिसमें वंदना और दीपक के सिर फूट गए। एसएसआई प्रदीप कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों की शिकायत पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। दोनों पक्षों में समझौते के भी प्रयास चल रहे।

आन्तरिक मार्गो में गड्ढे ही गड्ढे

भिकियासैंण। मुख्य बाजार व गांव को जाने वाली आन्तरिक सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे बने हुए है। इनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। बडियाली से नीचे बाजार और गांव को जाने वाली आन्तरिक सड़क

कुल डेढ़ किलोमीटर है, जिसमें गड्ढों से जनता परेशान है। लेकिन विभाग का इस ओर ध्यान नहीं गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री भुवन खंडूरी यहां आये थे तो रातोंरात इस सड़क पर गड्ढे ढककर चादर सी बिछा दी थी, जो एक साल में ही उधड़ गयी। तब से कोई देखने वाला नहीं है।स्थानीय स्तर पर बाईपास रोड की तरह मानी जानी वाली यह रोड घोड़िया रोड की तरह दिखाई देने लगी है। सरकार द्वारा करोड़ों रुपये सड़कों पर खर्च किये जाने के बावजूद इस क्षेत्र के विभागीय अधिकारी और जनप्रतिनिधि उदासीन बने हुए हैं। लोगों का कहना है नगर पंचायत बनने और दो साल पहले से अध्यक्ष, पार्षद बनाने के बावजूद कोई भी विकास कार्य नहीं हो रहे हैं जिससे लोगों की उम्मीद मरती जा रही है।

रामा विजन लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : वार्ड नं. 3, बरेली रोड, किच्छा, जिला उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड-263148
CIN:L32203UR1989PLC015645
Tel.:05944-264263, Website:www.ramavisionltd.com,
Email: sehgal@ramavisionltd.com

सूचना

सेबी के विनियम 29(1)(ए) सहपठित विनियम 47, (सूचीकरण औपचारिकतायें तथा प्रकटीकरण आवश्यकतायें) अधिनियम, 2015 के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मण्डल की 23वीं बैठक सोमवार, 09 नवम्बर, 2020 को 3.30 बजे अपरान्ह, कम्पनी के कार्पोरेट ऑफिस- रामा हाउस, 23 नजफगढ़ रोड, इण्डस्ट्रीयल एरिया, शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली-110015 में होगी, जिसमें 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही और छमाही के एकल असंप्रेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार कर, उनका अनुमोदन किया जावेगा।

उपरोक्त सूचना निम्न वेबसाइटों पर भी देखी जा सकती हैं:-
1- www.ramavisionltd.com
2. www.bseindia.com

कृते रामा विजन लिमिटेड
राज कुमार सहगल
जी.एम. (विधिक) तथा कम्पनी सचिव
स्थान- नई दिल्ली
दिनांक- 31 अक्टूबर, 2020

सीएम ने पटेल प्रतिमा पर माल्यार्पण किया

देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने लौह पुरूष सरदार बल्लभ भाई पटेल की जयंती पर घंटाघर देहरादून स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि सरदार पटेल ने स्वतंत्रता के लिए देश के संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाई एवं देश की आजादी के बाद प्रथम गृह मंत्री बने। उन्होंने देशी रियासतों के एकीकरण में अहम भूमिका निभाई।

साइबर ठगों ने एकाउंट से निकाले हजारों रुपए

खुद को बैंक कर्मी बता कर पूछा ओटीपी

क्राइम रिपोर्टर

हल्द्वानी। क्रेडिट कार्ड से लाखों की रकम उड़ा ली गई। पीड़ितों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस को दी तहरीर में जवाहर ज्योति दमुवाढुंगा निवासी राजेन्द्र सिंह राजेन्द्र सिंह किरौला ने बताया कि उसका टेड़ी पुलिया स्थित एसबीआई की शाखा में खाता है। 30 सितम्बर को वह क्रेडिट कार्ड बंद करवाने के लिए बैंक गया। इसके बाद 6 अक्टूबर को उसे विकास नामक एक व्यक्ति का फोन आया। जिसने स्वयं को एसबीआई का कर्मचारी बताया और क्रेडिट कार्ड बंद करने की बात कहकर उससे ओटीपी नंबर ले लिया। इसके बाद उसके बैंक खाते से 3 लाख 37 हजार 712 रुपये निकाल लिए। जब उसने विकास नामक व्यक्ति के मोबाइल नंबर पर संपर्क करने का प्रयास किया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। इस पर उसे ठगी का एहसास हुआ। जानकारी जुटाने पर पता चला कि उसके क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग की गई है। वहीं दूसरी घटना में विरेन्द्र सिंह रौतेला निवासी संधु कॉलोनी आरटीओ रोड हल्द्वानी के खाते से भी साइबर अपराधियों ने 91 हजार रुपए उड़ा लिये। विरेंद्र ने बताया कि उससे राहुल मिश्रा नामक व्यक्ति ने उसे यह कहकर ओटीपी ले लिया कि वह बैंक कर्मी बोल रहा है और कार्ड बंद करवाने के लिए उसे कुछ जानकारी देनी होगी। कुछ ही देर में उसके खाते से 91.564 रुपये निकाल लिए गए। पुलिस ने पीड़ितों की तहरीर के आधार पर मामलों में मुकदमा दर्ज कर साइबर ठगों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी है।

पानी की बचत को आरओ वॉटर प्यूरीफायर लॉन्च

देहरादून। एक स्वस्थ और स्थायी जीवन देने में फ्रंटरनर, लिवप्योर नेअब तक एक और भविष्य रेंज को लॉन्च किया है, जो आरओ (रिवर्स ऑस्मोसिस) आधारित वाटर प्यूरीफायर है एक बड़ी सफलता प्राप्त की है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के पूर्वानुमान के अनुसार 2030 तक भारत में 50 प्रतिशत पानी की कमी होगी। लिवप्योर ने जल संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अतीत में कटिंगपानी और रिवर्सइनअबोतल जैसे कई कैम्पेन चलाए हैं।

हरक-दमयंती के महा घोटालों की सीबीआई जांच कराए सरकार: नेगी

देहरादून। जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि इन दो-तीन वर्षों के दौरान भवन निर्माण एवं कर्मकार कल्याण बोर्ड में अध्यक्ष हरक सिंह रावत एवं सचिव दमयंती रावत की जुगलबंदी ने सरकार को करोड़ों रुपए की चपत लगाने का काम किया है तथा इसके साथ साथ श्रमिकों को भी छलने का काम किया है।

नेगी ने कहा कि इनके कार्यकाल के दौरान 70-80 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की साइकिलें, सिलाई मशीन, सोलर लालटेन, टूलकिट्स, छाते आदि खरीदे गए। उक्त खरीदे गए सामान की गुणवत्ता इतनी घटिया थी कि श्रमिकों ने उसको इस्तेमाल करने के बजाय मुफ्त का माल समझकर ओने-पौने दामों में बाजार में नीलाम कर दिया। इसके साथ-साथ खरीद एवं वितरण में भी भारी धांधली की गई। करोड़ों रुपए का उक्त वर्णित सामान किस वाहन से आया, इसका कोई अता पता विभाग के पास नहीं है यानी सब हवा-हवाई है।

नेगी ने कहा कि स्किल (प्रशिक्षण) करने के नाम पर करोड़ों रुपए की बंदरबांट की गई तथा इन्होंने अपनी तथा अपनी खास कई एनजीओ को भी भारी भरकम लाभ पहुंचाया।

गत कई महीनों से इनके भ्रष्टाचार को लेकर मोर्चा मुखर था तथा अभी दो-तीन दिन पहले ही सरकार द्वारा बोर्ड के अध्यक्ष एवं सचिव को बाहर का रास्ता दिखाया गया, जोकि सराहनीय कदम है। नेगी ने कहा कि इनके द्वारा सहसपुर स्थित अपने दून मेडिकल एवं साइंस को हॉस्पिटल्स की सूची में इम्पैनल कर लाभ पहुंचाया गया। मोर्चा सरकार से मांग करता है कि इनके कार्यकाल में की गई खरीद-वितरण, एनजीओ को लाभ पहुंचाने एवं स्किल करने के नाम पर हुए महा घोटालों की सरकार सीबीआई जांच कराए।

उर्स की बड़ी रोशनी पर हुड़दंगियों ने मचाया जमकर उत्पात

रुड़की। दरगाह साबिर पाक के सालाना उर्स की बड़ी रोशनी के दिन हुड़दंगियों ने जमकर उत्पात मचाया। हुड़दंगी युवाओं की टोलियां दरगाह के बाजारों में किन्नरों के पीछे इधर-उधर घूमकर उत्पात मचाती रही। उर्स में आई महिलाओं और युवतियों के साथ भी अभद्रता की शिकायत कई जगह सामने आई। पुलिस ने इन हुड़दंगियों पर लाठियां भी फटकारी लेकिन भीड़ का फायदा उठाकर वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। साबिर पाक के सालाना उर्स चल रहा हैं। उर्स में दूरदराज से अकीदतमंद लोग उर्स में शामिल होने कलियर पहुंचे थे। इसके साथ ही आसपास के क्षेत्रों से भी युवाओं की कई टोलियां उर्स में आई और देर शाम बाजारों में भीड़ बढ़ने लगी तो असामाजिक तत्व सक्रिय होते गए। किन्नरों के पीछे हुड़दंगियों की कई टोलियां बाजारों में हुड़दंग मचाती रही। कई जगहों पर महिलाओं और युवतियों के साथ छेड़छाड़ भी की लेकिन भीड़ का फायदा उठाकर हुड़दंगी आसानी से रफूचक्कर हो गए। किन्नरों की एक टोली ने एक हुड़दंगी युवक को पकड़कर उसकी धुनाई कर दी। कई जगहों पर हंगामा होता देख पुलिस ने लाठियां भी फटकारी लेकिन हुड़दंगी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए।

कार्यालय उप जिला मजिस्ट्रेट/ विशेष विवाह अधिकारी, अल्मोड़ा

संख्या 01/डीएफआरसी/2020-21 दिनांक 14 अक्टूबर, 2020

लोक सूचना

श्री धनपाल सिह पुत्र श्री सावन सिंह निवासी सिलयारा, टिहरी गढ़वाल हाल निवासी इण्डियन रिजर्व बटालियन, फसट, बैलपड़ाव, रामनगर, जिला नैनीताल एवं प्रेमा बिष्ट पुत्री श्री डुंगर सिंह बिष्ट, निवासी ग्राम सरसों, पो, तहसील व अल्मोड़ा द्वारा विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अन्तर्गत विवाह के पंजीयन हेतु संयुक्त आवेदन पत्र दिनांक 14-10-2020 को प्रस्तुत किया है। उक्त अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत इस लोक सूचना का विधिवत प्रकाशन किया जाता है। अतः विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 6 के अन्तर्गत सर्वसाधारण को सूचनार्थ यह लोक सूचना प्रसारित की जाती है कि उपरोक्त विवाह सम्पन्न/पंजीकरण किये जाने के सम्बन्ध में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो दिनांक 19-11-2020 से पूर्व स्वयं उपस्थित होकर अथवा जरिये प्रतिनिधि द्वारा अपनी आपत्ति इस कार्यालय को लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकता है। तदुपरान्त प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

यह लोक सूचना आज दिनांक 14-10-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी की गई।

सीमा विश्वकर्ता, उप जिला मजिस्ट्रेट/ विशेष विवाह अधिकारी, अल्मोड़ा

मालिक के डेढ़ लाख रुपये हड़प कर दी लूट की फर्जी सूचना

रुड़की। मालिक के डेढ़ लाख रुपये लेकर वापस लौट रहे ट्रक चालक ने लूट की फर्जी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम में दी। सूचना पर कोतवाली पुलिस रातभर दौड़ती रही। चालक पर संदेह हुआ तो पुलिस ने उससे रकम बरामद कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कंट्रोल रूम को शुक्रवार देर रात सूचना मिली कि नारसन क्षेत्र में बोलेरो कार सवार बदमाशों ने एक ट्रक चालक को तमंचे के बल पर आतंकित कर उससे करीब उससे करीब डेढ़ लाख रुपये की नकदी लूट ली है।

सूचना पर मंगलौर कोतवाली का प्रभार संभाले एएसपी हिमांशु वर्मा, एसएसआई देवेंद्र सिंह रावत बदमाशों की तलाश में कांबिंग के निकले। मौके पर मौजूद ट्रक चालक से बदमाशों के संबंध में जानकारी ली लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस ने वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले उनमें भी इस तरह की किसी घटना का कोई सुराग नहीं लगा। ट्रक चालक से ही अलग-अलग पूछताछ की तो उसके बयान विरोधाभासी रहे। उसने पुलिस को बताया कि वह काफी समय से ट्रक मालिक के यहां काम कर रहा था।

पैसे का लेनदेन भी वह करता है। शुक्रवार को दिन में उसने गषिकेश से कई लोगों से करीब डेढ़ लाख रुपये लिए थे। जिसमें से 2000 का ट्रक में डीजल भरवाया। बाकी पैसे हड़पने के लिए उसने लूट की फर्जी सूचना पुलिस को दी। मामले में ट्रक मालिक अंकुर यादव निवासी देवलोक कॉलोनी, हापुड़ ने पुलिस को तहरीर दी। बताया कि चालक सोनू काफी समय से उसके यहां काम करता है। गुरुवार की शाम को इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर चालक गढ़वाल गया था। वापसी में गषिकेश के कुछ दुकानदारों से पैसे लेने को कहा था। आरोपी चालक सोनू निवासी नया गांव बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के खिलाफ अमानत में खयानत का मुकदमा दर्ज कर उसके कब्जे 1.48 लाख रुपये बरामद कर लिए गए।

किसानों ने की सिंचाई नहरों की मरम्मत और सफाई की मांग

हरिद्वार। हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के किसानों ने विधायक से सिंचाई नहरों की मरम्मत और साफ सफाई कराने की मांग की है। किसानों के एक प्रतिनिधिंडल ने शुक्रवार को विधायक से मुलाकात कर मांग रखी। किसानों का कहना है कि लालढांग क्षेत्र की सभी नौ पंचायतों में लगभग 50 किलोमीटर से ज्यादा लम्बाई की 100 से अधिक छोटी नहरें है। लेकिन रखरखाव के अभाव में अधिकांश नहरें जर्जर हालत में है। पिछले कई सालों से इन नहरों की सफाई तक नहीं कराई गई है। जिस कारण आखिर छोर में किसान के खेत तक पानी नहीं पहुंच पाता है।

अवैध खनन में ट्रैक्टर ट्राली सीज

हरिद्वार। पथरी क्षेत्र के गांव धारिवाला से सटे एक खेत में अवैध खनन पर पुलिस ने छापेमारी कर एक ट्रैक्टर ट्राली को पकड़ा है। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्राली को अवैध खनन में सीज कर खेत और ट्रैक्टर स्वामी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार शुक्रवार की रात गांव धारिवाला के नजदीक एक खेत में अवैध खनन किया जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मौके पर छापेमारी कर एक ट्रैक्टर ट्राली को पकड़ लिया।

विज्ञप्ति

राजकीय सहा. प्राप्त जनता पूर्व मा. विद्यालय चित्रकूट तिवारीनगर बिन्दुखत्ता, नैनीताल उत्तराखण्ड राज्य के स्थाई निवासियों, अर्ह योग्य पुरुष/महिला अभ्यर्थियों से रिक्त पद के सापेक्ष अस्थाई नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंन्त्रित किए जाते हैं।

पद का नामः- कनिष्ठ सहायक 01 पद (अनारक्षित), वेतनमान लेवल-03 रु. 21700-69100.00 शैक्षिक योग्यता इण्टर मीडिएट (टंकण व कम्प्यूटर का साधारण ज्ञान), आयु 21 से 42 वर्ष- **नोटः**- आवेदन हेतु नियम व शर्ते रिक्त पद हेतु शैक्षिक/ प्रशिक्षण अर्हता वही होगी, जो राजकीय भर्ती सेवा नियमावली उत्तराखण्ड शासनादेश कार्मिक अनुभाग 2 संख्या-798/xxx(2)/08-3(1)/2008 देहराहदून दि. 01 अक्टूबर 2008 के अधीन एवं उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम 2006 व विनियम 2009 के तहत निर्धारित है नियुक्ति हेतु आयु शासनादेश एवं आरक्षित वर्ग हेतु नियमानुसार छूट देय होगी। आवेदन पत्र रुपए 100.00 का प्रति आवेदन पत्र रेखांकित बैंक ड्राफ्ट या पोस्टल आर्डर जो प्रबन्धक जनता पूर्व मा. विद्यालय चित्रकूट तिवारीनगर बिन्दुखत्ता के पदनाम देय होगा। विद्यालय कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। नकद भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र विज्ञापन तिथि से 21 दिन के भीतर विद्यालय कार्यालय निम्न पते में पंजीकृत डाक के माध्यम से पहुंच जाने चाहिए। आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के अलावा विज्ञप्ति प्रकाशन से पूर्व राज्य में सेवायोजन पंजीकरण व स्थाई निवास की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। विलम्ब से पहुंचने वाले तथा अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र स्व: निरस्त समझे जायेंगे। **प्रबन्धक, जनता पूर्व मा. वि. चित्रकूट, तिवारीनगर बिन्दुखत्ता, पोस्ट-लालकुआं, जिला-नैनीताल पिन-262402**

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि.

विद्युत वितरण खण्ड, रुद्रपुर

सूचना

इस खण्ड के अन्तर्गत निम्नलिखित पोषकों से पोषित विद्युत उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन आफ उत्तराखण्ड लि. द्वारा दीपावली पर्व पर विद्युत व्यवस्था सुचारू रखने हेतु 220 के.वी. पंतनगर का शटडाउन प्रस्तावित है, जिससे 132 के.वी. उपकेन्द्र रुद्रपुर की विद्युत आपूर्ति बाधित होने के कारण निम्न पोषकों की निम्न अंकित तिथियों एवं समय पर विद्युत आपूर्ति पूर्ण/आंशिक रूप से बाधित रहेगी अथवा बाधित रहने की संभावना है। अतः सम्मानित विद्युत उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि विद्युत बन्दी के समय धैर्य बनाये रखें एवं विभाग को सहयोग प्रदान करें।

प्रभावित 33/ के.वी. उपकेन्द्र	प्रभावित क्षेत्र	दिनांक	अवधि
33/11 के.वी. उपकेन्द्र, मटकोटा	कलेक्ट्रेट परिसर, जिला अस्पताल, पी.ए.सी.,जिला न्यायालय परिसर, आवास विकास आदि।	01-11-2020	प्रातः 9.00 से 3.00 बजे तक

''राष्ट्रहित में बिजली बचायें

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, रुद्रपुर (उधमसिंह नगर)

संख्याः 3405 दिनांकः 30.10.2020

कोरोना के 10 नए मरीज मिले

रुड़की। स्वास्थ्य विभाग की सूची के अनुसार कोरोना के 10 नए मरीज मिले हैं। जिसमें रुड़की के महावीर एन्क्लेव, पुरानी तहसील, आकाशदीप एन्क्लेव, कर्नल एन्क्लेव में कोरोना के मरीज मिले हैं। लक्सर में भी कोरोना के दो नए मरीज मिले हैं। सिविल अस्पताल के सीएमएस डॉ. संजय कंसल ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम कोरोना पॉजिटिव आये मरीजों से सम्पर्क कर रही है।

कोरोना सैंपल लेने वाली टीम के प्रमुख अर्बन हेल्थ ऑफिसर रामकेश गुप्ता ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सिविल लाइंस कोतवाली और निजी नर्सिंग होम के कर्मियों की कोरोना जांच की। उन्होंने बताया कि इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सौ सैंपल लिए हैं।

गेल पर मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना

अबुधाबी। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में 99 रन पर आउट होने के बाद गुस्से में अपना बल्ला फेंकने वाले किंग्स् इलेवन पंजाब के बल्लेबाज क्रिस गेल पर मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है।

आईपीएल ने उस घटना के बारे में नहीं बताया जिसके लिये उन पर जुर्माना लगाया गया है लेकिन समझा जाता है कि 99 रन पर आउट होने के बाद बल्ला फेंकने के कारण ही उन्हें दंडित किया गया। उसने अपराध स्वीकार करके सजा भी कबूल कर ली है। गेल को जोफ्रा आर्चर ने आखिरी ओवर में 99 रन पर बोल्ड किया था। आईपीएल ने एक बयान में कहा कि किंग्स इलेवन पंजाब के बल्लेबाज क्रिस गेल पर राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच के दौरान आईपीएल आचार संहिता के उल्लंघन के कारण मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। इसमें कहा गया कि उन्होंने अपराध और सजा स्वीकार कर ली है। इस तरह के अपराध में मैच रैफरी का फैसला अंतिम और सर्वमान्य होता है।

राशिफल

- **मेष :** कोर्ट-कचहरी के मामले में न पड़ें। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। नए कार्य आज प्रारंभ कर सकेंगे।
- **वृषभ :** संतान संबंधी शुभ समाचार मिलेंगे। मित्रों से भेंट होगी। आर्थिक रूप से लाभ होगा। संभलकर चलें।
- **मिथुन :** दिन लाभदायी है। प्रगति का मार्ग खुलेगा। व्यापार में आय बढ़ने की संभावना है। बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा।
- **कर्क :** वाणी और व्यवहार पर संयम रखें। व्यापार में विध्न की आशंका है। मध्यान्ह बाद परिस्थिति अनुकूल रहेगी।
- **सिंह :** क्रोध और वाणी पर संयम रखें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिजनों के साथ कलह के प्रसंग बन सकते हैं।
- **कन्या :** दिन मनोरंजन में दिन बीतेगा। संबंध अच्छे रहेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आकस्मिक खर्च हो सकता है।
- **तुला :** प्रत्येक कार्य में सफल होंगे। सुख और शांति बनी रहेगी। स्वभाव में उग्रता रहेगी। वाणी पर संयम रखें।
- **वृश्चिक :** भावुकता की अधिकता रहेगी। घर में सुख-शांति बनी रहेगी। व्यवसाय में सफलता प्राप्त होगी।
- **धनु :** पारिवारिक जीवन में शांति रहेगी। निरर्थक वाद-विवाद न करें। क्षमता में वृद्धि होगी। छात्रों के लिए समय अनुकूल है।
- **मकर :** आज आवश्यक निर्णय लेंगे। मित्रों के साथ मुलाकात होगी। भाइयों के साथ संबंधों में निकटता आएगी।
- **कुंभ :** क्रोध और वाणी पर संयम बरतें। खान-पान में भी संयम बरतें। हाथ में आए हुए कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे।
- **मीन :** दिन शुभफलदायी है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। नए कार्य का शुभारंभ होगा। प्रवास या पर्यटन का योग है।

संस्थापकः स्व.जी.एस.भण्डारी
जी.एस.भण्डारी एण्ड को. के लिए प्रकाशक मुद्रक डा.उषा किरन भण्डारी द्वारा उत्तर उजाला प्रेस, उजाला नगर बरेली रोड, हल्द्वानी (नैनीताल) से मुद्रित व भण्डारी भवन, मल्लीताल, नैनीताल (उत्तराखण्ड) से प्रकाशित।
मुख्य सम्पादक : डा. उषा किरन भण्डारी
फोन:हल्द्वानी 252129, 252975 नैनीताल: 236154,
पंजी.सं. आर.एन.32942/77 website: www.uttarujala.com
E-mail : uttarujala7@gmail.com uttarujala@rediffmail.com